प्रेस नोट **03/12/2025**

पुलिस मुठभेड़ मे एक गौ-तस्कर घायल सहित कुल 06 गौ-तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 01 ट्रक व 01 पिकअप वाहन में क्रूरतापूर्वक लदे 20 राशि गोवंश व 01 अवैध/प्रतिबन्धित तमंचा व खोखा कारतूस बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दोहराघाट व थाना कोतवाली नगर संयुक्त पुलिस टीम को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 03.12.2025 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर तारनपुर थाना दोहरीघाट के पास से पुलिस मुठभेड़ में 01 घायल सहित कुल 06 गोकसी/गोतस्करों को गिरफ्तार किया गया जिसमें अभियुक्तगणो के पास से एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर तथा 01 ट्रक व 01 पिकअप वाहनों क्रमशः (**ट्रक नम्बर BR01GB7456** व **स्कार्पियों नम्बर BR44V1889**) में क्रूरतापूर्वक लदे कुल 20 राशि गोवंशीय पशु (11 राशि गाय व 09 राशि बछडे) बरामद किये गये। घटना में प्रयुक्त दोनो वाहनों को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट मे सीज किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण-

1. बबलू यादव पुत्र दीनानाथ यादव निवासी रौजा थाना टाउन जनपद छपरा बिहार (घायल)।
2. रामायन यादव पुत्र स्व0 नन्हे यादव ड्राईवर निवासी राजपुर थाना सेमरी जनपद बक्सर बिहार (ट्रक चालक)
3. रजनीकान्त पाण्डेय पुत्र श्री धर्मनारायन पाण्डेय निवासी कुकुरभोका थाना नवानगर जनपद बक्सर बिहार
4. लल्लन यादव पुत्र श्रीनिवास यादव निवासी बडकाराजपूत थाना सिमरी जनपद बक्सर बिहार
5. राजू कुमार पुत्र नागेश्वर शाह निवासी घेघहा थाना मुकामी जनपद छपरा बिहार
6. मकरध्वज पुत्र भगवान यादव निवासी भटवलिया थाना औद्योगिक बक्सर जनपद बक्सर बिहार।

बरामदगीः-

1. एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर।
2. 01 ट्रक व 01 पिकअप वाहनों क्रमशः (**ट्रक नम्बर BR01GB7456** व **स्कार्पियों नम्बर BR44V1889**)
3. क्रूरतापूर्वक लदे कुल 20 राशि गोवंशीय पशु (11 राशि गाय व 09 राशि बछडे)

टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार त्रिपाठी मय टीम थाना दोहरीघाट जनपद मऊ
2. प्रभारी निरीक्षक अनिल सिंह मय टीम थाना कोतवाली जनपद मऊ

मिशन शक्ति" अभियान फेज-05 के अन्तर्गत नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के दृष्टिगत महिलाओं/बालिकाओं के साथ किये गये अपराध के विरुद्ध शून्य सहनशीलता(Zero Tolerance) की नीति के तहत जनपद पुलिस द्वारा पाक्सो एक्ट 01 अभियुक्त गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान एंव मिशन शक्ति 5.0 के अन्तर्गत महिला अपराध में शून्य सहनशीलता के क्रम मे तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण मे क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना कोपागंज पुलिस द्वारा दिनाक 03.11.2025 देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बलिया मोड़ के पास से मु0अ0सं0 175/25 धारा 137(2), 87, 64 बी.एन.एस व ¾ पाक्सो एक्ट थाना कोपागंज जनपद मऊ से सम्बन्धित वांछित भुलाई कुमार उर्फ भुटेली उर्फ अशोक राम निवासी गोइता थाना सिरसिया जिला पश्चिमी चम्पारण विहार को गिरफ्तार कर चालान न्यायलय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. भुलाई कुमार उर्फ भुटेली उर्फ अशोक राम निवासी गोइता थाना सिरसिया जिला पश्चिमी चम्पारण विहार

गिरफ्तार कर्ता पुलिस टीम-

1. उ0नि0 हीरालाल थाना कोपागंज जनपद मऊ।

2. हे0का0 दिनेश थाना कोपागंज जनपद मऊ।

01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देश में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान दिनांक 03.12.2025 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त धर्मदेव पुत्र चंन्द्रिका निवासी धर्मपुर ताणी थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चलान न्यायालय किया गया

01 वांछित शातिर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 01 अदद नाजायज पिस्टल व 04 अदद जिन्दा कारतूस बरामद -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मऊ श्री इलामारन जी के द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय मऊ श्री अनूप कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर महोदय श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल निर्देशन में व प्रभारी निरीक्षक थाना सरायलखंसी श्री संजय सिंह के नेतृत्व में दिनांक 03.12.2025 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 498/2025 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार तथा कब्जे से एक अदद अवैध पिस्टल 32 बोर व चार अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद।

उल्लेखनीय है कि अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 498/2025 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त भैरव सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासी राजनपुर पहसा थाना हलधरपुर जनपद मऊ आदि के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। उक्त के क्रम में आज दिनांक 03.12.2025 को निरीक्षक अपराध श्री हरेन्द्र सिंह मय हमराह उ0नि0 श्री बृजेश कुमार, हे0का0 मो0 अकमल खां व का0 महेश्वर प्रसाद तिवारी के देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर हनुमान मन्दिर कन्धेरी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ के पास से अभियुक्त भैरव सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासी राजनपुर पहसा थाना हलधरपुर जनपद मऊ के कब्जे से अदद अवैध पिस्टल 32 बोर व चार अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद हुआ। जिसे अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधि0 का दण्डनीय अपराध बताकर समय करीब 15.00 बजे गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 499/25 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराधिक इतिहास का विवरण

1.मु0अ0सं0 230/21 धारा 307 भादवि0 थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ

2. मु0अ0सं0 253/21 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर अधि0 थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ

3.मु0अ0सं0 60/25 धारा 115(2)/140(2)/310(2)/351(3) बीएनएस थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ

4.मु0अ0सं0 650/15 धारा 323/325/504/506 भादवि0 थाना हलधरपुर जनपद मऊ

5.मु0अ0सं0 247/25 धारा 3(5)/324(5)/351(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

6.मु0अ0सं0 498/25 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधि0 थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ

7.मु0अ0सं0 499/25 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ

नाम पता अभियुक्त -

1. भैरव सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासी राजनपुर पहसा थाना हलधरपुर जनपद मऊ उम्र करीब 35 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

एक अदद अवैध आटोमेटिक पिस्टल 32 बोर तथा चार अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर

गिरफ्तारकर्ता टीम-

1-प्र0नि0 श्री संजय सिंह

2. निरीक्षक श्री हरेन्द्र सिंह

2- उ0नि0 बृजेश कमार

3.हे0का0 मो0 अकमल खां

4. का0 महेश्वर प्रसाद तिवारी